



Neutral Citation No. - 2026:AHC:56569

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 51/2026

रहीश खान

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : जीतेंद्र कुमार शर्मा, लक्ष्मी दुबे, विजय सक्सेना

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 50

माननीय न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 14-ए(2) के तहत यह आपराधिक अपील अपीलकर्ता द्वारा विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, औरैया द्वारा दिनांक 11.12.2025 को जमानत आवेदन संख्या 2112/2025 में पारित जमानत अस्वीकृति आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जो मुकदमा अपराध संख्या 426/2025 अंतर्गत धारा 64(2)एम, 69, 352, 351(1) बीएनएस और 3(2)V एससी/एसटी (पी.ए.) अधिनियम पुलिस स्टेशन फाफुंद, जिला औरैया से उत्पन्न हुआ है।

2. हमने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान एजीए की दलीलें सुनीं और संपूर्ण रिकॉर्ड का अवलोकन किया। नोटिस तामील किए जाने के बावजूद, प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलकर्ता निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अपीलकर्ता ने आक्षेपित एफआईआर में लगाए गए आरोपों के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है। अभियोजन पक्ष की कहानी पूरी तरह से झूठी और मनगढ़ंत है। आरोप के अनुसार, अपीलकर्ता ने विवाह का झांसा देकर पीड़िता के साथ बलात्कार किया है। आगे निवेदन है कि पीड़िता बालिग और विवाहित महिला है। आगे निवेदन है कि अपीलकर्ता ने

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

न तो पीड़िता के साथ बलात्कार किया है और न ही उसने कभी पीड़िता के साथ यौन संबंध बनाए हैं, जैसा कि आक्षेपित एफआईआर और उसके बयान में आरोप लगाया गया है। पीड़िता को चिकित्सा परीक्षण के लिए पेश किया गया था, लेकिन उसने चिकित्सा परीक्षण कराने से इनकार कर दिया। आगे यह निवेदन किया गया है कि पीड़िता ने स्वयं बीएनएसएस की धारा 180 के तहत अपने बयान में कहा है कि वह विवाहित महिला है, लेकिन वह अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती और अपीलकर्ता के साथ रहना चाहती है। बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़िता अपनी सहमति से इस अपराध में शामिल है। आगे यह निवेदन किया गया है कि निकट भविष्य में मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है, इसलिए अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जा सकता है। अपीलकर्ता 9 नवंबर 2025 से जेल में बंद है और उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह निवेदन किया गया है कि अपीलकर्ता की जमानत याचिका खारिज करने का आक्षेपित आदेश त्रुटिपूर्ण और अवैध है, जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप आवश्यक है।

4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अपीलकर्ता की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया और निवेदन किया कि अपीलकर्ता ने यह जानते हुए भी अपराध किया कि पीड़िता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित है। आक्षेपित आदेश में कोई खामी या गैरकानूनी बात नहीं है।

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और आक्षेपित आदेश सहित संपूर्ण अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता, वर्तमान अपीलकर्ता की भूमिका और चोट की प्रकृति को देखते हुए, न्यायालय का मत है कि अपीलकर्ता जमानत के लिए पात्र है। अवर न्यायालय ने अपीलकर्ता की जमानत याचिका खारिज करने में गलती की है। आक्षेपित आदेश त्रुटिपूर्ण और अवैध है और इसे रद्द किया जाना चाहिए तथा अपील स्वीकार की जानी चाहिए।

7. तदनुसार, अपील **स्वीकार** की जाती है और अपीलकर्ता की जमानत याचिका खारिज करने वाला आक्षेपित आदेश रद्द किया जाता है।

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में आरोपी अपीलकर्ता **रहीश खान** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बांड और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन **जमानत पर रिहा किया** जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) अपीलकर्ता मुकदमे के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/धमकाएगा नहीं।

(iii) अपीलकर्ता निर्धारित तिथि पर अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(iv) अपीलकर्ता उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा जिसका उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(v) अपीलकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

9. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा।

19 मार्च, 2026

अजीत

(शेखर कुमार यादव, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"